# स्कूल शिक्षा विभाग

# शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण संबंधी निर्देश

छत्तीसगढ़ राज्य में आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक, शालाऍ स्थापित हो चुकी हैं, यदा–कदा ही इन शालाओं की मॉग प्राप्त होती हैं । शालाओं की आवश्यकता को देखते हुए राज्य शासन द्वारां शालाये प्रति वर्ष खोली जाती हैं । राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि पर्याप्त स्कूल एवं अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती उपरांत भी शालाओं में शिक्षकों की कमी है । वहीं दूसरी तरफ यह भी देखने में आता है कि कहीं कहीं शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के इस असंतुलन को छात्र हित में संतुलित करना अनिवार्य हो गया है ताकि समस्त शालाओं में शिक्षक स्वीकृत सेट्अप अनुसार उपलब्ध हो सकें । शालाओं में शिक्षकों की कमी के ही कारण शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आती है जिससे यहॉ के छात्र अन्य राज्यों के छात्रों की तुलना में अपने आपको कमजोर महसूस करते हैं । अतः शासन सभी शालाओं में संकायवार/विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करना चाहता है । शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण करने के लिए शाला में पद स्वीकृति, अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन तथा अतिशेष शिक्षकों की आवश्यकता वाली (रिक्त पद) शालाओं से हटाने संबंधी प्रक्रिया का खुलासा आवश्यक है।

सहायक शिक्षक/शिक्षक से आशय, स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग/पंचायत विभाग/नगरीय निकाय अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षक/शिक्षकों से है।

## 2/ शाला स्तर पर वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–

**(1) प्राथमिक शाला :–**

प्रत्येक प्राथमिक शाला में कम से कम एक प्रधान पाठक का पद तथा 02 सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत)/सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) के पद स्वीकृत हैं। सैटअप स्वीकृति के समय छात्र दर्ज संख्या के आधार पर और अधिक पद स्वीकृत किये गये हैं । प्रधान पाठक के पदों को छोड़कर शेष पदों में 50 प्रतिशत पद कला के एवं 50 प्रतिशत पद विज्ञान के स्वीकृत हैं । वर्तमान में पद स्वीकृति अनुसार संकायवार शिक्षक कार्यरत नहीं हैं, अतः शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण आवश्यक है ।

**(2) पूर्व माध्यमिक शाला :–**

पूर्व माध्यमिक शाला में कम से कम एक प्रधानपाठक का पद तथा 4 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं । दर्ज छात्र संख्या के आधर पर अधिक पद भी स्वीकृत किये गये हैं । प्रत्येक शाला में विषयवार पद स्वीकृत किये गये हैं यथा हिन्दी/संस्कृत/उर्दू/



Scanned with OKEN Scanner

सामाजिक विज्ञान का एक पद, अंग्रेजी, गणित, एवं विज्ञान का एक–एक पद स्वीकृत है, किन्तु स्वीकृत पदों के मान से विषय शिक्षक उपलब्ध नहीं है जिसके कारण युक्तियुक्तकरण की आवश्यकता है ।

## 3/ अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन :–

### (A) प्राथमिक शाला स्तर में चिन्हांकन :–

(i) प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का युक्तियुक्तकरण नहीं किया जायेगा ।

(ii) सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत)/सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) का ही युक्तियुक्तकरण करना होगा।

(iii) सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत)/सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) के युक्तियुक्तकरण के मामले में विकासखंड को इकाई माना जायेगा। किंतु सहायक शिक्षक (नगरी निकाय) के लिए संबंधित नगरी निकाय–इकाई मान्य होगा।

(iv) प्रत्येक स्कूल के लिए सेट–अप स्वीकृत है, इसी अनुसार शिक्षकों को पदस्थापित करना होगा । प्राथमिक शाला के स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत कला के एवं 50 प्रतिशत विज्ञान के पद होते हैं । किसी शाला में 02 पद स्वीकृत होने पर एक पद कला का एक–एक विज्ञान का पद माना जायेगा, तीसरा पद स्वीकृत होने पर वह पुनः कला का होगा, इसके बाद भी चौथा पद स्वीकृत होने पर वह विज्ञान का पद होगा तथा इसी क्रम से शिक्षकों को मान्य करना होगा।

(v) सरलता की दृष्टि से वाणिज्य, गृहविज्ञान एवं कृषि से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण सहायक शिक्षक/सहा.शिक्षक (पंचायत)/सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) कला के एवं अन्य विषयों से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण शिक्षक विज्ञान के शिक्षक माने जायेंगे।

(vi) युक्तियुक्तकरण हेतु सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक (पंचायत) एवं सहायक शिक्षक (नगरीय निकाय) एक ही सवंर्ग के माने जावेंगें ऐसा मानकर ही सेवा में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ शिक्षकों का निर्धारण किया जायेगा।

(vii) किसी स्कूल में सेट–अप अनुसार स्वीकृत संकायवार पदों से अधिक शिक्षक कार्यरत होने की दशा में वे शिक्षक अतिशेष होंगे जिनकी पदस्थापना उक्त शाला में उस संवर्ग में बाद में हुयी हो। अर्थात अगर किसी शाला में 02 कला के एवं 01 विज्ञान का पद स्वीकृत है और कला संकाय के 04 शिक्षक कार्यरत हो तो कला संकाय में 02 पहले पदस्थ शिक्षकों को छोड़कर शेष 02 शिक्षकों को अतिशेष माना जायेगा।



Scanned with OKEN Scanner

**(B) पूर्व माध्यमिक शाला / उच्च प्राथमिक शाला स्तर में चिन्हांकन :–**

(i) प्रत्येक पूर्व माध्यमिक शाला / उच्च प्राथमिक शाला में एक प्रधान पाठक का पद स्वीकृत है । अतः प्रधान पाठक का युक्तियुक्तकरण नहीं किया जायेगा।

(ii) पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षक / शिक्षक(पंचायत) / शिक्षक(नगरीय निकाय) के पद स्वीकृत है इसलिए इन पदों में कार्यरत् अतिशेष शिक्षक / शिक्षक (पंचायत) / शिक्षक (नगरीय निकाय) का ही युक्तियुक्तकरण करना होगा।

(iii) शिक्षक / शिक्षक (पंचायत) के युक्तियुक्तकरण के मामले में जिले को इकाई माना जायेगा। जबकि नगरी निकाय के शिक्षक (नगरी निकाय) हेतु सबंधित नगरी निकाय ईकाई होगी।

(iv) सामान्यतः प्रत्येक उच्च प्राथमिक शाला के सेटअप में प्रधान पाठक पद के अतिरिक्त चार शिक्षक, शिक्षक पंचायत / शिक्षक नगरीय निकाय के पद स्वीकृत है जिनमें से 01 पद हिन्दी / संस्कृत / उर्दू / सामाजिक विज्ञान का एक पद अंग्रेजी का, एक पद गणित का, एवं एक पद विज्ञान का स्वीकृत है।

(v) शिक्षक / शिक्षक(पंचायत)एवं शिक्षक(नगरी निकाय) को युक्तियुक्तकरण के लिए एक ही संवर्ग माना जायेगा।

(vi) प्रत्येक विषय के जितने पद स्वीकृत होंगे उतने शिक्षक ही पदस्थ माने जायेंगे । विषय के स्वीकृत पदों से अधिक शिक्षक कार्यरत होने पर शिक्षक अतिशेष माने जायेंगे । अतिशेष विषय शिक्षक वह होगा जो अपने विषय वाले शिक्षक / शिक्षक (पंचायत) / शिक्षक(नगरी निकाय) से सबसे कनिष्ठ होगा। अर्थात अगर विज्ञान का 01 पद स्वीकृत है और वहां 02 विज्ञान के शिक्षक कार्यरत है तो वरिष्ठ को छोड़कर जो एक कनिष्ठ होगा उसे अतिशेष माना जायेगा।

## 4/ युक्तियुक्तकरण की प्रकिया :–

(1) युक्तियुक्तकरण हेतु प्रत्येक वि.ख. में निम्नानुसार युक्तियुक्तकरण समिति गठित होगी :–

| | | |
|---|---|---|
| (i) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत | – | अध्यक्ष |
| (ii) सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास विभाग के प्रतिनिधि | – | सदस्य |
| (iii) विकासखंड शिक्षा अधिकारी | – | सदस्य–सचिव |

(2) युक्तियुक्तकरण हेतु प्रत्येक जिला स्तर में निम्नानुसार युक्तियुक्तकरण समिति गठित होगी :–

| | | |
|---|---|---|
| (i) जिला कलेक्टर | – | अध्यक्ष |
| (ii) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत | – | सदस्य |



Scanned with OKEN Scanner

(iii) नगर निगम/नगर पालिका के आयुक्त/
मुख्य नगर पालिका अधिकारी — सदस्य

(iv) यथा स्थिति जिला शिक्षा अधिकारी/
सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग — सदस्य सचिव

(3) विकासखंड स्तरीय युक्तियुक्तकरण संबंधी समिति अतिशेष सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत)/सहायक शिक्षक (नगरी निकाय)/शिक्षक/शिक्षक (पंचायत)/शिक्षक (नगरी निकाय) का चिन्हांकन करेगी, तथा चिन्हांकित अतिशेष शिक्षकों की शालावार, विभागवार एवं संकायवार वरिष्ठता सूची प्रसारित कर शिक्षकों से दावा आपत्ति आमंत्रित की जायेगी। दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात अतिशेष शिक्षकों की अंनतिम वरिष्ठता सूची जारी की जायेगी। तत्पश्चात शालाओं की संकायवार रिक्त पदों की सूची बनाई भी जाएगी अतिशेष शिक्षकों की सूची में समिति द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि नियमानुसार अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया गया है तथा इसमें अन्यत्र संलग्न शिक्षकों का भी नाम शामिल है। दूसरी सूची संकायवार/विषयवाररिक्त पदों की होगी जिसमें भी यह प्रमाणित किया जायेगा कि शालाओं में उपरोक्त पद रिक्त हैं तथा कोई भी रिक्त पद छुपाया नहीं गया है। दोनों सूचियों के आधार पर पदस्थापना प्रस्तावित करते हुए जिला स्तरीय समिति को भेजा जायेगा। जिला स्तरीय समिति विकासखंडों से प्राप्त सूचियों का परीक्षण कर युक्तियुक्तकरण करने के निर्देश प्राप्त करने हेतु जिला कलेक्टर को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव जिला कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा।

(5) अतिशेष घोषित शिक्षकों को पदस्थापना निकटतम स्थान पर निम्नानुसार प्राथमिकता के क्रम में की जायेगी। यह क्रम निम्नानुसार होगाः–1. निःशक्तजन 2. महिला 3पति–पत्नि.

(6) सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक, पंचायत के युक्तियुक्तकरण हेतु विकासखण्ड को इकाई माना जाएगा। विकासखण्ड स्तरीय समिति अपनी अनुशंसा जिला स्तरीय समिति को युक्तियुक्तकरण हेतु प्रेषित करेगी तथा जिला स्तरीय समिति उसे अन्तिम रूप देकर पदस्थापना स्थान अनुमोदित कर आदेश जारी करने हेतु संबंधित विकासखण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेगी।

(7) विभागीय यथा शिक्षा/आ.जा.क/नगरीय प्रशासन /पंचायत के शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण हेतु उनके सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश (कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत) जारी किए जा सकेंगें।

(8) विकासखंड में अतिशेष सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत) में पदांकन के बाद भी यदि अतिशेष शिक्षक बच जाते है तो इनका पदांकन किसी अन्य विकासखंड में करना है। इसका निर्णय जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। सहायक शिक्षक (पंचायत) विकासखंड कैडर का शिक्षक है अतः विकासखंड के अंदर ही पदांकन



Scanned with OKEN Scanner

किया जायेगा किंतु नियमित सहायक शिक्षकों का पदाकन जिले में कहीं भी किया जा सकेगा।

(9) नगरीय निकाय/शिक्षक (नगरीय निकाय) का कैडर संबंधित नगरीय निकाय का होता हैं। अतः अतिशेष शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण संबंधित नगरीय निकाय में ही होगा जब संबंधित नगरीय निकाय में पद रिक्त न हो और अतिशेष शिक्षक शेष हो तो इनके पदांकन का निर्णय जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। नगरी निकाय में कहां पदांकन करना है, यह जिला कलेक्टर द्वारा तय किया जायेगा।

(10) सर्वसंबंधित विभाग युक्तियुक्तकरण हेतु यथोचित विभागीय निर्देश उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त जारी करेगें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न कर युक्तियुक्तकरण किया जाये। युक्तियुक्तकरण के संबंध में अंतिम निर्णय कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया जायेगा।

**संचालक**
**लोक शिक्षण संचालनालय**
**छत्तीसगढ़**



Scanned with OKEN Scanner